न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 01/2019

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, आबूरोड़ जिला सिरोही		1. सरपंच ग्राम पंचायत, ओरिया 2. श्री उम्मेदसिंह पुत्र श्री रूपसिंह निवासी ओरिया तहसील आबूरोड़ जिला सिरोही।

पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थितिः–

1. श्री नटवरलाल जीनगर, सहायक विकास अधिकारी प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या दो की ओर से।

निर्णय दिनांक 02.02.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना–पत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत सरपंच ग्राम पंचायत, ओरिया द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी किया गया पट्टा संख्या 39 दिनांक 04.06.2018 प्रस्ताव संख्या 12 दिनांक 20.11.2017 एवं प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 19.05.2018 क्षेत्रफल वर्गफीट 2208 को निरस्त कराने हेतु इस बिनाय पर प्रस्तुत किया कि उक्त पट्टा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत नियम विरूद्ध जारी किया गया है । प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या दो की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा ने वकालतनामा के उपस्थिति दी एवं जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण में दोनो पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई ।

प्रार्थी की ओर से दौराने बहस मेरा ध्यान प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को नियमो के विपरित पट्टा जारी किया है। पंचायत के अभिलेख मे भूमि के विक्रय के संबंध मे मिसल दायर संख्या 86 दिनांक 16.09.2016 को दर्ज की गई है तथा पट्टे मे भी मिसल संख्या 86 दिनांक 16.09.2016 दर्ज नहीं है आपत्ति नोटिस जारी किया है। अप्रार्थी संख्या 2 अति निर्धन होने एवं अन्य कोई भूखण्ड नही होने का कोई उल्लेख नहीं है। शिकायत प्रस्तुत होने पर जांच के आधार पर ही निगरानी प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। पंचायत द्वारा नियमों की अवहेलना कर पट्टा जारी किया गया है, इस कारण पंचायत को आर्थिक क्षति हुई है। पंचायत स्तर पर नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित कार्यवाही, जांच सम्पन्न नहीं की गई है। अप्रार्थी संख्या दो नियम 157(1) के तहत पट्टा प्राप्त करने की पात्र व्यक्ति नही था।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.12 16:41:53 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी के लायक अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान निगरानीं मे प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि पंचायत द्वारा प्रस्ताव लेकर अप्रार्थी संख्या दो को नियम 157(1) के तहत पुराने मकान का पट्टा शुल्क लेकर जारी किया गया है जो नियमानुसार सही है । इस संबंध में उन्होंने दौराने बहस निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या–2 द्वारा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियमो के तहत कार्यवाही कर ही पट्टा जारी किया गया है ।

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

अप्रार्थी संख्या–2 द्वारा इस संबंध मे कोई अनियमितता पट्टा प्राप्त करते समय नही की गई है। विवादित भूमि पर अप्रार्थी का वर्षो पुराना मकान बना हुआ था। अतः पट्टा जारी करने मे राजस्थान पंचायत राज विभाग, राज.जयपुर के दिशा निर्देशों की पालना की गई है। अनियमितता करने के कथन सर्वथा गलत है। यह निगरानी म्याद बाहर होने से अपरिपोषणीय है। राजस्थान सरकार के दिशा–निर्देश पंचायती राज के नियम नही है। अप्रार्थी संख्या एक ने यथा संभव उसे प्राप्त पंचायती राज विभाग के दिशा–निर्देशों की पालना की है उक्त दिशा निर्देश 'सक्ष निर्देश' की श्रेणी मे आते है । राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा–61 के तहत अधीनस्थ पंचायत के आदेशों के विरूद्ध अपील आदेश के 30 दिनों के भीतर पंचायत समिति को करनी चाहिए थी। पंचायत प्रसार अधिकारी को जांच करने का कोई अधिकार नही था। उनके द्वारा की गई जांच सर्वथा गलत एवं बेबुनियाद है। अन्त मे अपने जवाब प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों की ओर मेरा ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि गलत तथ्यो के आधार पर निगरानी प्रस्तुत की गई है। अतः निगरानी प्रार्थना पत्र अपरिपोषणीय होने से खारिज किया जावे। इस संबंध मे उनके द्वारा ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की अधिसूचना क्रमांक/1166 दिनांक 9.4.2007 एवं प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास एंव पंचायतीराज विभाग जयपुर द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त राजस्थान को लिखे पत्रांक 1349 दिनांक 21.4.2007 की फोटो प्रति प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि अधिसूचना दिनांक 9.4.2007 द्वारा संशोधन करते हुए राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 157(1) जोडा गया है जिसके अन्तर्गत–

157.–पुराने गृहों का विनियमितिकरण– जहाँ व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते है और पट्टा जारी कराने के इच्छुक वहां उन्हें निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात् प्ररूप 23 क में पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा–

1. 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के लिए या 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अध्यधीन रहते हुए 25 प्रतिशत सनिर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए सनिर्मित क्षेत्रफलः

क. इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व 50 वर्षों से अधिक 100 रूपये पूर्व में सनिर्मित पुराने गृहों के लिए

ख. (31 दिसम्बर 2016 के ठीक पूर्ववर्त्ती सत्तर वर्षों के दौरान) = 200 रूपये सनिर्मित पुराने गृहों के लिए।

अन्त में विधिक दृष्टान्त डीएनजे 1999 पेज 781, 437 डीएनजे 1996 पेज 100 आरजेटी 2016(1) पेज 99 प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावे ।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया । प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं अप्रार्थी संख्या एक की ओर से प्रस्तुत रेकर्ड व दो की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं पत्रावली का भलिभॉति नियमों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो निष्कर्ष निम्न प्रकार है–

जहॉ तक अप्रार्थी संख्या दो के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का प्रश्न है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अंतर्गत निगरानी पेश करने हेतु कोई अवधि निर्धारित नही है । किसी पंचायती राज संस्था के विनिश्चिय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता के बारे मे या ऐसी कार्यवाहियों के बारे में स्वंय का समाधान करने एवं उसकी परीक्षा स्वप्रेरणा से करने के राज्य सरकार के अधिकार जिला कलक्टर को प्रदत्त है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.12 16:41:53 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

अप्रार्थी संख्या दो को उक्त पट्टा ग्राम पंचायत, ओरिया द्वारा पंचायत के प्रस्ताव संख्या 12 दिनांक 20.11.2017 एवं प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 19.05.2018 से नियमो की

Scanned with CamScanner

अवेहलना कर डी.एल.सी. दर की 25 प्रतिशत राशि वसूल कर पट्टा जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(1) के अनुसार–

जहाँ व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते है और पट्टा जारी कराने के इच्छुक वहां उन्हें निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात् प्ररूप 23 क में पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा–

1. 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के लिए या 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अध्यधीन रहते हुए 25 प्रतिशत सनिर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए सनिर्मित क्षेत्रफलः

क. इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व 50 वर्षों से अधिक 100 रूपये पूर्व में सनिर्मित पुराने गृहों के लिए

ख. (31 दिसम्बर 2016 के ठीक पूर्ववर्त्ती सत्तर वर्षों के दौरान) = 200 रूपये सनिर्मित पुराने गृहों के लिए।

जहां तक अप्रार्थी संख्या 2 के लायक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र देरी से प्रस्तुत किया गया है इस संबंध मे उनके द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टान्त डीएनजे 1999 पेज 781, 437 डीएनजे 1996 पेज 100 आरजेटी 2016(1) पेज 99 एसएआर 1997 पेज 783, आरएलडब्लू 1999(3) राजस्थान पेज 1390, आरएलडब्लू 1997(3) राजस्थान पेज 1567 मे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 धारा 97 का प्रयोग करते समय परिसीमा अधिनियम, 1963, अनुच्छेद 137 के अधीन पुनरीक्षण शक्तियों का उपयोग करने हेतु राज्य सरकार की शक्तियॉ जिला कलेक्टर को दी गई है । राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत परिसीमा की अवधि के प्रावधानों के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा पुनरीक्षणीय शक्तियों का प्रयोग अभिनिर्धारित न्यायोचित अवधि के भीतर करने का निर्णय दिया गया है साथ ही न्यायोचित अवधि प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करेगी ।

अप्रार्थी संख्या दो के अधिवक्ता द्वारा यह प्रार्थना पत्र देरी से प्रस्तुत किये जाने का कथन है, कि यह निगरानी प्रार्थना पत्र 5 साल बाद प्रस्तुत किया है अप्रार्थी संख्या 2 का यह कथन सत्य है, किन्तु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी प्रस्तुत विधिक दृष्टान्तों मे पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करने मे प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करना माना गया है, एवं ऐसे प्रकरण मे भी समयावधि के बारे मे उचित अवधि का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। अप्रार्थिया संख्या दो महिला है एवं राज्य सरकार के अधिसूचना दिनांक 9.4.2007 से राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 में नई धारा 157(1) जोडी गई है जिसके अन्तर्गत जहाँ व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते है और पट्टा जारी कराने के इच्छुक वहां उन्हें निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात् प्ररूप 23 क में पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा–

1. 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के लिए या 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अध्यधीन रहते हुए 25 प्रतिशत सनिर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए सनिर्मित क्षेत्रफलः

(क). इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व 50 वर्षों से अधिक 100 रूपये पूर्व में सनिर्मित पुराने गृहों के लिए

(ख). (31 दिसम्बर 2016 के ठीक पूर्ववर्त्ती सत्तर वर्षों के दौरान) = 200 रूपये सनिर्मित पुराने गृहों के लिए।

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.12 16:41:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

उक्त प्रकरण में इसकी पालना की नहीं गई है। विवादित भूमि का उपयोग अप्रार्थी संख्या दो द्वारा वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ किया जाना स्वयं ने स्वीकारा है एवं अप्रार्थी संख्या दो ओरिया का निवासी है एवं विवादित भूमि ग्राम ओरिया की न होकर उतरज की है, जो ओरिया से 15 किमी. दूर है। पंचायत द्वारा यह पट्टा नियम 157(1) के तहत दिया गया है। नियम 157(1) के तहत पुराने आवास गृहों का पट्टा दिए जाने का प्रावधान है। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड के अनुसार ऐसा कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है कि अप्रार्थी संख्या 2 का कब्जा दिनांक 16.09.2016 से पूर्व का पाया जाता हो। यह पट्टा पूर्व में वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ दिया जाना पाया जाता है। अतः ऐसी स्थिति मे पट्टेधारी का पट्टा खारिज कर उसे मौके से बेदखल करना न्याय संगत होगा । सरपंच, ग्राम पंचायत, ओरिया द्वारा प्रस्तुत अभिलेख में भी नियमों की अवहेलना कर ग्राम पंचायत, ओरिया को आर्थिक क्षति पहुॅचाया जाना पाया जाता है। विवादित पट्टे की भूमि का उपयोग व्यावसायिक होने से उक्त भूमि को ग्राम पंचायत द्वारा आम नीलामी के द्वारा नीलाम की जानी चाहिए थी। डी. एल.सी. दर पर देने का नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 2 को प्रस्ताव संख्या 12 दिनांक 20.11.2017 एवं प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 19.05.2018 की पालना में जारी पट्टा संख्या 39 दिनांक 04.06.2018 क्षेत्रफल वर्गफीट 2208 वर्गफीट को निरस्त किया जाता है। ग्राम पंचायत ओरिया द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 से इस सम्बन्ध में वसूल की गई राशि एक माह के अन्दर–अन्दर लौटाई जावे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.12 16:41:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner